राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग / नर्स–1 / 2019 / दिनांकः–

–:आदेशः–

निदेशालय के आदेश क्रमांक 176 दिनांक 07.09.2018 के द्वारा लिली कुट्टि सिरियक को नर्स द्वितीय से नर्स प्रथम पर पदौन्नत किया गया एवं उनका पदस्थापन सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से सीएचसी मौलासर, नागौर प्रशासनिक कारणों से किया गया था। लिली कुट्टि सिरियक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3480 / 2018 दायर की गई थी जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा निम्न निर्णय पारित किया गया–

"दिनांक 05.10.2018 तक प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 25.10.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.09.2018 (अनुलग्नक–5) का क्रियान्वयन (operation) स्थगित किया जाता है। यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त समक्षा जावे।"

लिली कुट्टि सिरियक द्वारा माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 28.09.2018 की अनुपालना में प्रस्तुत अभ्यावेदन में अवगत कराया है कि निदेशालय के संशोधित आदेश क्रमांक 198 दिनांक 28.09.2018 के द्वारा जयपुर के लगभग 42 कार्मिकों का पदस्थापन संशोधित कर उनके संस्थानों में नर्सिंग अधीक्षक पदों के रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थापित किया है, अतः उनका अभ्यावेदन स्वीकार करते हुए सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में रिक्त पद पर रिक्त या पद विरूद्ध पदस्थापित किये जाने हेतु निवेदन किया है।"

वर्तमान में नर्सिंग अधीक्षकों के पदौन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा नर्स श्रेणी प्रथम का कोई पद सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में रिक्त नहीं है।

अतः माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 28.09.2018 की पालना में लिली कुट्टि सिरियक, नर्स प्रथम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है।

-Sd-
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– नर्सिंग / नर्स–1 / 2019 / 300 दिनांकः 25.06.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
2. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन– अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश / निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)